न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. विविध–6054/2018/सिंगरौली/भू.रा.

अहमद अली पुत्र सफीअल्ला निवासी ग्राम गनियारी तहसील बैढ़न जिला सिगरौली म.प्र.

—— आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार सिंगरौली

—— अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार बैढ़न(सिंगरौली) जिला सिंगरौली के प्र.क. 100/अ–06/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1993 के विरुद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि आवेदन पत्र प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्यः–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम गनियारी तहसील बैढ़न जिला सिंगरौली के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार बैढ़न (सिंगरौली) के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115–116 के तहत् प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क्रमांक 100/अ–06/1991–92 पर पंजीवद्ध किया किया गया। विधिवत उद्घोषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम गनियारी तहसील बैढ़न जिला सिंगरौली की भूमि सर्वे नं. 973/13 रकवा 2.00 एकड़., 976/22 रकवा 0.99 एकड़, 977/5 रकवा 1.45 एकड़, कुल किता 3 कुल रकवा 4.44 एकड़ का

(३५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - विविध-6054/2018/सिंगरौली/भू.रा.

अहमद अली विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-06-2019	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री एस.पी.धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित । उभय पक्ष के प्रकरण में प्रारम्भिक तर्क सुने गये । आवेदक का तर्क है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-03-1993 के आदेश का पालन निम्न न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है । मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03-03-1993 को आदेश पारित किया गया है । लगभग 25 वर्ष पश्चात इस न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में धारा 32 के अंतर्गत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया है जिससे आवदेन स्पष्ट नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है । मेरे मतानुसार उक्त आवेदन उसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आदेश का पालन होना है, जिससे प्रकरण का संक्षिप्त विधि अनुसार निराकरण हो सके । अत: धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रथमदृष्टया सुनवाई योग्य नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	